

12.0 भर्ती प्रक्रिया :

- a) उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और डीबार कर दिया जाएगा।
- b) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:
- i. कंप्यूटर आधारित टेस्ट
 - ii. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) / शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी)
 - iii. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)
- c) परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।
- d) किसी भी चरण के स्थगन या स्थान, तिथि और शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

12.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) :

परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा।

a) सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम:

- a) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 120
 - b) उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी
 - c) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन @ 1/3 अंक होंगे।
 - d) कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
 - e) पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत: यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल - 35%, एससी और एसटी - 30%
- b) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉटलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा
- c) सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम: प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है।

a) अंकगणित (35 अंक):

संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, आदि पर प्रश्न

b) जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग (35 अंक):

एनालॉजीज, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन- निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि

c) सामान्य जागरूकता (50 अंक):

प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा; वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

12.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक माप (पीएमटी):

ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवार शॉटलिस्ट किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी देना होगा। यदि उपर्युक्त शॉटलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार पीईटी / पीएमटी में अहता प्राप्त नहीं करते हैं, और पुरुष / महिला / भूतपूर्व सैनिकों के किसी भी संवर्ग / समूह में कमी है, तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी / पीएमटी के दूसरे दौर के पीईटी / पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी/पीएमटी के अधिकतम दो राउंड होंगे। पीईटी/पीएमटी के दूसरे दौर के बाद महिला और पूर्व सैनिकों की रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, तो रिक्त पदों को संबंधित श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यह सामान्य योग्यता होगी। कोई अंक नहीं दिया जाना है।

- पीईटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	1600 मीटर दौड़	800 मीटर दौड़	लंबी कूद	ऊंची कूद
उप-निरीक्षक (कार्यकारी) पुरुष	6 min 30 secs	-	12 ft	3 ft 9 inch
उप-निरीक्षक (कार्यकारी) महिला	----	4 mins	9 ft	3 ft

- पीएमटी के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	ऊंचाई Height (in CMs)		छाती (in CMs) (Only for Male)	
	पुरुष	महिला	अविस्तारित	विस्तारित
यूआर/इंडब्ल्यूएस/ओबीसी	165	157	80	85
एससी/एसटी	160	152	76.2	81.2
गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊंनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए	163	155	80	85

नोट:

- 1600/800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए, उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे।
- पूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी, हालांकि, उन्हें पीएमटी लेना होगा।
- एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए उपरोक्त मानदंड के अनुसार सभी टेस्ट में अहता प्राप्त करनी चाहिए।

- iv. पुरुष उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई नहीं है, उन्हें छाती की माप के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें अयोग्य माना जाएगा।
- v. 1600 मीटर/800 मीटर में अहंता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऊंचाई और छाती के संबंध में पात्रता के लिए मापा जाएगा। छाती का माप केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए लिया जाएगा। यदि किसी पुरुष उम्मीदवार की अविस्तारित छाती माप पात्रता सीमा से कम है, तो विस्तारित माप नहीं लिया जाएगा और उसे अयोग्य माना जाएगा।
- vi. उम्मीदवार जिनके पास न्यूनतम ऊंचाई, छाती (अविस्तारित / विस्तारित) नहीं है, उन्हें पीएमटी में असफल माना जाएगा।
- vii. पीईटी/पीएमटी उत्तीर्ण करना है। कोई अंक नहीं दिया जाना है।
- viii. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण सेल की स्थापना की जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के तीन दिनों के भीतर पीसीएससी को अध्यावेदन करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में पीईटी, पीएमटी, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाती है।

12.3 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) :

- i. सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर और पीईटी और पीएमटी में उनकी योग्यता के अधीन, उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए विचार किया जाएगा।
- ii. एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार, उन्हें उपलब्ध किसी भी छूट का लाभ उठाए बिना पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चुने गए, यूआर रिक्तियों के विरुद्ध गिना जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामलों में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी यानी अधिक आयु के उम्मीदवार को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान होती है तो उन्हें आरोही वर्णमाला क्रम (a से z) में रखा जाएगा।
- iii. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा, शैक्षिक और जाति प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन, स्थानीय प्रशासन से उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन के अध्यधीन है।
- iv. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि भर्ती समिति केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करती है और नियुक्ति केवल संबंधित क्षेत्रों / आरपीएसएफ द्वारा की जाती है।
- v. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी और पीईटी / पीएमटी में उनके प्रदर्शन के बावजूद, अंतिम चयन में नहीं माना जाएगा।
- vi. दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ अपने सभी मूल दस्तावेज जमा करने होंगे।
- vii. इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को पोर्टल - <https://oirms.ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए।

viii. उन उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा जो दस्तावेज़ सत्यापन की अपनी तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त होने के लिए उत्तरदायी है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप

निम्नलिखित मूल दस्तावेज, साथ ही साथ उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, पीईटी / पीएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक होगी।

- a) आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिक्युलेशन प्रमाण पत्र,
- b) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में स्नातक/मैट्रिक प्रमाण पत्र,
- c) केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए),
- d) भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्वहन/डिसचार्ज प्रमाण पत्र,
- e) स्व-सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ की दो प्रतियां,
- f) सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी),
- g) अधिवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो,
- h) केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र।

नोट- I: उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार करना चाहते हैं / या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल रूप में अपेक्षित / प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, एससी / एसटी / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक / ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और पात्र होने पर उनकी उम्मीदवारी / आवेदनों पर सामान्य (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नोट-II: सभी प्रमाणपत्र या तो अंग्रेजी में या केवल हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी में नहीं हैं, जहां भी / जब भी आवश्यक हो, स्व-सत्यापित अनुदित संस्करण (हिंदी/ अंग्रेजी में) की प्रस्तुति किया जाना चाहिए।

नोट III: - अल्पसंख्यकों से तात्पर्य मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से है (इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तारीख तक पुनरीक्षण, यदि कोई प्राप्त हो)। यदि दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर जमा करना होता है।

नोट IV:- इसके अलावा, ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र विशेष रूप से इंगित करना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जापन सं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और कार्यालय जापन संख्या 36033/3/2004-स्था. संशोधित (Res.) दिनांक 09/03/2004 द्वारा इसके बाद के जो भी संशोधन हैं" अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं, इस सीईएन की अंतिम तिथि तक प्राप्त और संशोधन, यदि कोई हो तो।

नोट- V: - आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुत करने में विफलता से, उम्मीदवार की अयोग्यता हो जाएगी, सिवाय जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को छोड़कर, जिस स्थिति में उम्मीदवार को अनारक्षित माना जाएगा। मूल प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के लिए समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां जाति प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, या जहां किसी प्रमाण पत्र के खो जाने / चोरी होने का दावा किया गया है (एफआईआर द्वारा समर्थित दावा), जिस स्थिति में उम्मीदवार को चार (4) सप्ताह के समय विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

12.4 चिकित्सा परीक्षा:

दस्तावेज सत्यापन के बाद, अंतिम परिणाम में रखे गए उम्मीदवारों को रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी 'बी -1' में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर, घुटने खटखटाने, भैंगापन आंखें, रंग अंधापन और अन्य शारीरिक दुर्बलताएं नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी और इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल किया गया है।